

आवास अनुभाग-5
संख्या-3880/9-आ0-5-2000-70ई/98 दिनांक 09 अक्टूबर,2000
अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या-3809/9-आ0-5-2000-70ई/98, दिनांक 05 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समूह-‘क’, ‘ख’ एवं ‘घ’ के पदों को पर्वतीय उपसंवर्गों में गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 05-09-2000 के आंशिक संशोधन में श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के संलग्नक में अंकित विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के सम्मुख अंकित विभिन्न स्तर के पदों को संवर्ग में अन्तिम रूप से सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त अधिसूचना संख्या-3509/9-आ-5-2000-70ई/98 दिनांक 05 सितम्बर,2000 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

ह0 अपठनीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या:-3880(1)/9-आ-5-2000-तददिनांक

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ तथा एक सौ प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(दीन दयाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3880(2)/9-आ-5-2000-तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मंसूरी-देहरादून/हरिद्वार
2. अध्यक्ष/सचिव, विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण दूनवैली/गंगोत्री/नैनीताल
3. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तरांचल विकास अनुभाग-4
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. आवास अनुभाग-3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(दीन दयाल)
संयुक्त सचिव।

प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम

परिशिष्ट

क्र० सं०	पदनाम	कुल पदों की सं०	मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	दूनवैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	उपाध्यक्ष / अध्यक्ष	05	1	1	1	1	1
2-	सचिव	05	1	1	1	1	1
3-	केन्द्रीयित सेवा अभियंत्रण संवर्ग अधि०अभि०	03	01	01	—	01	—
4-	सहा०अभि०	12	04	04	—	04	—
5-	अवर अभि०	32	16	06	02	06	02
6-	नियोजन संवर्ग नगर नियोजक	02	01	01	—	—	—
7-	सहा०न०नियोजक	03	01	01	—	01	—
8-	वास्तुविद सहायक	01	—	01	—	—	—
9-	प्रशासनिक संवर्ग संयुक्त सचिव	01	01	—	—	—	—
10-	उप सचिव	01	—	01	—	—	—
11-	लेखा संवर्ग मु०लेखाधिकार	02	01	01	—	—	—
12-	लेखाकार	03	01	01	—	01	—
13-	कार्यालय अधीक्षक	03	01	01	—	01	01
14-	अकेन्द्रीयित पद लेखपाल	03	03	—	—	—	—
15-	ड्राफ्ट्समैन	07	03	02	01	01	—
16-	सर्वेयर	05	03	02	—	01	—
17-	ट्रेसर	02	01	01	—	—	—
18-	आशुलिपिक	09	05	02	01	01	—
19-	उद्यान निरीक्षक	02	01	01	01	—	—
20-	विधि निरीक्षक / सहा०निरीक्षक	02	01	01	—	—	—
21-	रोकड़िया	03	02	01	—	—	—
22-	लेखालिपिक	05	02	—	01	01	01
23-	प्रधान / मुख्य लिपिक	02	01	01	—	—	—
24-	वरिष्ठ लिपिक	03	01	01	—	01	—
25-	कनिष्ठ लिपिक / टंकण	16	09	04	01	01	01

26-	<u>कम्प्यूटर डाटा इ0 आपरेटर</u>	01	—	01	—	—	—
27-	<u>समूह " घ" चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद</u>	40	17	12	01	09	01
	<u>योग</u>	175	80	49	09	31	7

क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष का पद है , उपाध्यक्ष का नहीं।

ह0 अपठनीय
(दीन दयाल)
संयुक्त सचिव